यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर) के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.09.2018 से 19.09.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन एवं श्री नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों एवं श्री निखिल गोस्वामी, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22.09.2017 से 30.10.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील किच्छा का समस्त क्षेत्र**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	8,844.57
2016-17	11,739.76
2017-18	4,490.99

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**आवंटित बजट राशि (₹)**	**व्यय राशि (₹)**	**अवशेष/समर्पण (₹)**
2015-16			
2016-17	**लागू नहीं**		
2017-18			

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ....ए... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कर निर्धारण** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2 (अ)

प्रस्तर- 1 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.11 करोड़ ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह कर, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से कर, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर विभाग, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **संलग्नक-'क'** में उल्लिखित 08 व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 1,11,26,705 (अर्थात् ` 1.11 करोड़) अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा सभी प्रकरणों में बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत कराया जाएगा ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.11 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "***क***"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	ब्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (` में)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर की
1.	सर्वश्री एस0 पी0 स्केलिंग प्रोडक्ट लि0, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) (टिन नं0 05007290448)	2013-14	07/2013	17,59,558	25.08.2013	3
			09/2013	10,30,917 (CST) 1,26,397 (VAT) 11,57,314 (Total)	25.10.2013	2
			11/2013	94,828 (CST) 7,05,172 (VAT) 8,00,000 (Total)	25.12.2013	1
			12/2013	1,31,513 (CST) 6,68,487 (VAT) 8,00,000 (Total)	25.01.2014	0
			01/2014	1,27,920 (CST) 3,72,080 (VAT) 5,00,000 (Total)	25.02.2014	0
				11,55,988	25.02.2014	0
			03/2014	3,56,354 (CST) 11,43,646 (VAT) 15,00,000 (Total)	25.04.2014	2
2.	मेसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, किच्छा (टिन नं0 05004558249)	2013-14	2013-14 Q1 (Apr.-June)	9,00,000	25.07.2013	2
			June	7,40,454	25.07.2013	2
			July	7,00,000	25.08.2013	1
				3,00,000	25.08.2013	2
				3,65,350	25.08.2013	2
			August	2,50,000	25.09.2013	1
				6,59,263	25.09.2013	1
			2013-14 Q2 (Jul.-Sep.)	9,00,000	25.10.2013	2

			2013-14 Q3 (Oct.-Dec.)	8,00,000	25.01.2014	0
				9,00,000	25.01.2014	0
				10,00,000	25.01.2014	0
				4,04,259	25.01.2014	2
			2013-14 Q4 (Jan.-March)	15,00,000	25.04.2014	3
				5,95,351	25.04.2014	0
3.	मेसर्स श्री बांके बिहारी इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, किच्छा (टिन नं0 05004558249)	2014-15	Q1 (Apr-Jun.)	3,00,000	20.07.2014	1
				7,00,000	20.07.2014	1
			Q2 (July-Sep.)	7,00,000	20.10.2014	1
				5,00,000	20.10.2014	1
			Oct.	8,50,000	20.11.2014	2
				5,50,000	20.11.2014	2
4.	मेसर्स गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज, किच्छा (टिन नं0 05005586061)	2015-16	Q4 (Jan.-March)	3,060 (CST) 11,81,770 (VAT) 11,84,830 (Total)	20.04.2016	2
5.	मेसर्स गुरूनानक राईस मिल, किच्छा (टिन नं0 05004446796)	2013-14	07/2013	21,377 (CST)	25.08.2013	3
			08/2013	1,00,101 (CST)	25.09.2013	2
6.	सर्वश्री जे0 के0 सीमेन्ट लि0, किच्छा (टिन नं0 05004456981)	2014-15	अप्रैल-2014	17,92,017	20.05.2014	2
			मई-2014	21,42,672	20.06.2014	2
			जून-2014	21,93,251	20.07.2014	2
			जुलाई-2014	16,92,561	20.08.2014	2
			अगस्त-2014	18,86,067	20.09.2014	2
			अक्टूबर-2014	21,19,232	20.11.2014	2
			नवम्बर-2014	21,09,504	20.12.2014	2
			दिसम्बर-2014	21,56,224	20.01.2015	2
			जनवरी-2015	19,09,378	20.02.2015	2
			फरवरी-2015	21,92,810	20.03.2015	2

7.	सर्वश्री जे0 के0 सीमेन्ट लि0, किच्छा (टिन नं0 05004456981)	2015-16	अप्रैल-2015	22,28,856	20.05.2015	2
			मई-2015	24,40,529	20.06.2015	2
			जून-2015	22,50,113	20.07.2015	2
			जुलाई-2015	18,58,478	20.08.2015	2
			अगस्त-2015	57,07,861	20.09.2015	2
			सितम्बर-2015	53,57,465	20.10.2015	2
			अक्टूबर-2015	87,07,688	20.11.2015	2
			नवम्बर-2015	79,94,751	20.12.2015	2
			जनवरी-2016	94,79,600	20.02.2016	2
			फरवरी-2016	83,34,260	20.03.2016	2
			मार्च-2016	77,28,171	20.04.2016	2
8.	सर्वश्री गुरूनानक मोटर्स, किच्छा (टिन नं0 05006096863)	2015-16	अप्रैल-2015	3,22,865	20.05.2015	2
			मई-2015	10,54,532	20.06.2015	2
			जून-2015	8,66,117	20.07.2015	2
			जुलाई-2015	7,52,001	20.08.2015	2
			सितम्बर-2015	8,13,528	20.10.2015	2
			अक्टूबर-2015	9,03,997	20.11.2015	3
			नवम्बर-2015	10,83,900	20.12.2015	2
			जनवरी-2016	5,94,779	20.02.2016	2
						Grand To

भाग 2 (अ)

प्रस्तर- 02 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 73.50 लाख

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 59 (1)के अनुसार प्रत्येक व्यौहरी जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है, इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी है, जिसमे इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत आच्छादित कोई व्यौहारी भी सम्मिलित है,ऐसा सच्चा और सही लेखा-रखेगा जिसमें ऐसे माल की कीमत दिखाई गई हो, जो उसने क्रय, विनिर्मित, विक्रय या सम्भरण किया हो, और ऐसे अभिलेख रखेगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अधीन विहित किया जाए, एवं साथ ही उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(XIV) मे यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यौहारी मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखता है या प्रस्तुत किया है तो अर्थदण्ड के रुप मे कर की उस धनराशि का कम से कम पच्चास प्रतिशत, किन्तु दो सौ प्रतिशत से अनधिक जो तदद्वारा परिवर्जित हो, आरोपणीय होगा।

(क) कार्यालय उपायुक्त (क0नि0), राज्य कर, किच्छा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री जे के सीमेंट लि0 किच्छा, टिन 05004456981 का कर निर्धारण वर्ष 2014-15 मे व्यापारिक स्थिति निम्नानुसार थी।

वस्तु का नाम	प्रा0 अवशेष	खरीद	कुल	बिक्री	अंतिम अवशेष
आयातित सीमेंट, पुट्टी व वाटर प्रूफिंग	24,37,458.33	21,25,84,345.52	21,50,21,803.85	18,18,86,792	28,65,421.33

उपरोक्त विवरण के अनुसार यदि लाभ शामिल न भी किया जाए तो भी बिक्री ₹21,21,56,382 (₹ 21,50,21,803 - ₹28,65,421) की होनी चाहिए। जबकि कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री ₹18,18,86,792 घोषित की गयी है। अतः व्यापारी द्वारा ₹2,31,61,937 (21,21,56,382 – 18,18,86,792 – 71,07,653) की बिक्री कम घोषित की गयी थी। कर निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश मे उक्त कम बिक्री के संबंध मे कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी। अतः उक्त को बिक्री मानते हुये कर ₹ 31,26,861 (` ₹2,31,61,937 x 13.5 %) व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार अर्थदण्ड भी कर की धनराशि का कम से कम 50 प्रतिशत आरोपणीय था।

व्यापारी द्वारा वर्ष 2014-15 मे ₹71,07,653.50 एवं वर्ष 2015-16 मे ` ₹1,14,12,674 का क्रेडिट नोट की धनराशि घोषित करते हुये बिक्री से उक्त धनराशि को घटाया गया था। जिसके संबंध मे व्यापारी द्वारा कहा गया था कि यह ग्राहको को विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट देने के संबंध में था जिसे बाद मे घटाया गया है। जबकि डिस्काउंट बिक्री के समय ही घटाया जाना था। अतः उपरोक्त धनराशि पर कर ₹ 25,00,244 **(₹**71,07,653.50 x13.5 प्रतिशत + **₹**1,14,12,674 x 13.5 %) व्यापारी पर आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

(ख) उपायुक्त (क0नि0) राज्यकर विभाग, किच्छा, उधमसिंहनगर के माह अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्व श्री टैक्टर एण्ड फार्मर्स इक्यूपमेंन्ट लि0 टिन.05004696280 विभाग में पंजीकृत व्यौहारी है। **व्यापार फर्टिलाइजर्स, बायोफर्टिलाइजर्स एवं पेस्टीसाइड आदि की बिक्री का है।** व्यौहारी की कर निर्धारण वर्ष 2015–16 की पत्रावली में तिमाही (रिटर्न में) बिक्री निम्नवत दिखायी गयी;–

प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल वार्षिक विक्री
₹.2,56,33,037.00	₹1,27,07,687.00	₹1,65,31,770.00	₹2,25,74,413.00	₹7,74,46,907.00

जबकि कर निर्धारण आदेश 2015–16 में मात्र ₹5,48,14,148.00 बिक्री निर्धारित की गयी। इस प्रकार ₹2,26,32,759.00 (7,74,46,907–5,48,14,148) की ब्रिकी कम निर्धारित की गयी। इस कम निर्धारित बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से ₹11,31,638.00 (22632759X5) के कर अनारोपित रहने से इन्कार नही किया जा सकता। इस सम्बन्ध में करनिर्धारण आदेश में किसी प्रकार का उल्लेख नही किया गया।

उपरोक्त अनारोपित कर ₹11,31,638.00 के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराये जाने की टिप्पणी की गयी है।

(ग) उपायुक्त (क0नि0), राज्यकर विभाग, किच्छा, उधमसिंहनगर के माह अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्व श्री किच्छा एग्रो एजेंसी बरेली रोड किच्छा टिन–05004474150 विभाग में पंजीकृत व्यौहारी है। व्यौहारी पेस्टीसाइड एवं फर्टीलाइजर की खरीद बिक्री करता है।व्यौहारी की कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली के अनुसार कुल विक्रय ₹ 24,89,00,373.00 के विरुद्व ₹84,90,945.00 कर निर्धारित किया गया। आगे पत्रावली की जॉच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा कम बिक्री निम्नानुसार दिखायी गयी–

आरम्भिक अवशेष	₹2,50,56,133.00
संगत वर्ष में क्रय	₹.28,56,74,424.00
योग	₹31,07,30,557.00
(–) अन्तिम अवशेष	₹ 5,00,07,069.00
वास्तविक बिक्री	₹.26,07,23,488.00
करनिर्धारण आदेश में अंकित विक्री	₹24,89,00,373.00
अन्तर/कम प्रदर्शित बिक्री	₹1,18,23,115

इस प्रकार कम बिक्री दिखाये जाने के **परिणामस्वरूप** इस पर कर अनारोपित रहने के कारण ₹5,91,155.00 (11823115X5) की राजेस्व क्षति से इन्कार नही किया जा सकता।चूँकि यह स्वीकृत कर है अतएव इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय **होगा।**

उपरोक्त अनारोपित कर ₹5,91,155.00 के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी कि व्यापारी को **पेस्टीसाइड** में ₹14074037.00 के क्रेडिट नोट प्राप्त हैं,उक्त क्रेडिट नोटस के साथ कर वापिस नही हुआ है। नियमानुसार आई0टी0सी0 का लाभ लिया गया है।शुद्व खरीद व लाभांश वैलेंस सीट से सत्यापित है।

विभाग का उत्तर इस आधार पर अमान्य है, क्योंकि बैलेंश सीट के व्यापार एवं लाभ हानि खाते में सकल लाभ ₹58,38,687.00 दिखाया गया, जबकि आडिट रिर्पोट में सकल लाभ ₹(1,18,26,114.00) (हानि) दर्शाया गया है। इस प्रकार व्यौहारी के खाते की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

अत; ₹ 73,49,898 (3126861+2500244+1131638+591155) **की राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।**

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-1 अनियमित आई0 टी0 सी0 एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 1.30 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(5)(घ) के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0 टी0 सी0), ऐसे माल के क्रय पर अदा किये गये कर की वास्तविक दर या इस अधिनियम के अन्तर्गत लागू दर, जो भी कम हो देय होगा ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58(1)(xi) के अनुसार, यदि कोई ब्यौहारी मिथ्या या गलत आई0 टी0 सी0 का दावा करता है, तो ` 5,000 अथवा मिथ्या या गलत आई0 टी0 सी0 का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करेगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर विभाग, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री इण्डियन स्टील, हल्द्वानी रोड, किच्छा (ऊधमसिंह नगर), टिन नं0 050011425461, कर निर्धारण वर्ष 2014-15 द्वारा **"संलग्न विवरण"** के अनुसार ` 60,600 के M. S. Drum एवं ` 3,22,565 के Iron Scrap कुल ₹ 3,83,165 की खरीद पर 13.5% की दर से ` 51,527 का अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) का लाभ लिया गया है । जबकि उक्त वस्तुओं पर 5% की दर से करदेयता है ।

इस प्रकार, व्यापारी द्वारा अन्तरीय दर 8.5% की दर से ` 32,569 (अर्थात् ` 3,83,165 का 8.5%) का आई0टी0सी0 का अनियमित दावा किया गया है । जिसे रिवर्स किया जाना अपेक्षित है ।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार, यदि कोई व्यौहारी मिथ्या या गलत आई0टी0सी0 का दावा करता है, तो ` 5,000 अथवा मिथ्या या गलत आई0टी0सी0 का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में ` 97,707 (` 32,569 x 3) भी देय होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः अनियमित आई0 टी0 सी0 ` 32,569 एवं अर्थदण्ड ` 97,707 के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति ` 1.30 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्न विवरण"

मेसर्स- सर्वश्री इण्डियन स्टील, हल्द्वानी रोड, किच्छा

(टिन नं0 050011425461)

क्रय पंजिका/क्रय वाउचर

Date	Seller Name	TIN No.	Stock Item	Vch. No.	U.K. @13.5% purchase	ITC claimed @13.5%	ad
22.08.2014	R. A. Traders, Kichha	05007674762	M. S. Drum	383	60,600	8,181	
18.03.2015	Uttarakhand Transport Corporation	05005060030	Iron Scrap	5783	3,22,565	43,546	1
				Total	**3,83,165**	**51,527**	**1**

भाग- 2 (ब)

प्रस्तर-2 स्वीकृत कर पर ब्याज जमा न किया जाना ₹1.19 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह कर, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से कर, समाधान धनराशि विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 1.25 प्रतिशत मासिक अर्थात् 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण), राज्य कर विभाग, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री आटो डेकोर प्राईवेट लिमिटेड, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में **संलग्नक-'ख'** में उल्लिखित विवरणानुसार स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ` 1,19,010 ब्याज जमा किया जाना अपेक्षित है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत करा दिया जाएगा ।

अतः ` 1.19 लाख ब्याज के कम जमा किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक – "ख"

Non Deposit of Interest

क्रम सं0	व्यापारी का नाम/टिन सं0 कर निर्धारण वर्ष	माह	स्वीकृत कर की धनराशि (` में)	जमा करने की विहित तिथि	जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (माह/दिन)	ब्याज की धनराशि (`)
1.	मेसर्स आटो डेकोर प्राईवेट लिमिटेड, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) (टिन सं0 05007393947) कर निर्धारण **वर्ष 2013-14**	फरवरी, 2014	1,31,038	25.03.2014	14.10.2015	18 माह 20 दिन	30560
		मार्च, 2014	1,10,056	25.04.2014	14.10.2015	17 माह 19 दिन	24246
2.	मेसर्स आटो डेकोर प्राईवेट लिमिटेड, किच्छा (ऊधमसिंह नगर) (टिन सं0 05007393947) कर निर्धारण **वर्ष 2014-15**	अप्रैल, 2014	1,32,811	20.05.2014	14.10.2015	16 माह 25 दिन	27927
		मई, 2014	1,01,837	20.06.2014	14.10.2015	15 माह 24 दिन	20099
		जून, 2014	87,645	20.07.2014	14.10.2015	14 माह 25 दिन	**16178**
						योग	**119010**

भाग -2(ब)

प्रस्तर 3- कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹0.57 लाख एवं चालान प्रस्तुत न किया जाना ₹0.59 लाख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के धारा 8(4) के उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे किसी बिक्री पर तब तक लागू नही होगे, जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे माल बेचा गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारुप मे सम्यक रुप से भरी हुई और हस्ताक्षरित-घोषणा, जिसमे विहित विवरण अन्तर्विष्ट हो, विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न दे दें।

पुनः स्वतः कर निर्धारण के संबंध मे शासन की अधिसूचना संख्या-282/XXXVI(3)/2017/ 41(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर-2 के विंदु 01 के, परंतु यह कि- के बिन्दु (दो) के अनुसार ऐसे मामले जिनमे केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 अथवा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 मे विनिर्दिष्ट प्रविधानों के अंतर्गत कोई कर की मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, मे वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावो के समर्थन मे संबन्धित अधिनियम एवं नियम के प्रविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा प्रमाण पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस अधिनियम के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिये गए हो।

कार्यालय उपायुक्त (क0नि0), राज्य कर, किच्छा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री कोरोमंडल इंटरनेशनल लि0 टिन संख्या- 05004423419 द्वारा स्वतः कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे कुल बिक्री ₹3,12,72,987 की गयी है। ₹2,82,73,196 पर 5 प्रतिशत की दर से कर ₹14,13,659 स्वीकार कर जमा कराया गया था। उक्त कर जमा के संबंध मे पत्रावली पर चालान की प्रति संलग्न नहीं थी। उक्त के अतिरिक्त संगत वर्ष मे ₹11,31,315 का स्टाक ट्रान्सफर करना घोषित किया गया था। जिसके समर्थन मे फार्म-एफ संलग्न नहीं था। अतः ₹11,31,315 पर 5 प्रतिशत की दर कर ₹56,566 व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया एवं ऑनलाइन चालान की प्रति संलग्न किया गया। संलग्न 11 चालानो की कुल धनराशि ₹13,54,665 की है। जबकि संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा ₹14,13,659 का कर स्वीकार कर जमा कराया जाना अवगत कराया गया है। अतः ₹58,994 (14,13,659-13,54,665) का चालान की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गयी है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-80/2017-18	01	01,02,03	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	
80/2017-18	01	01,02,03		

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   अपील में लम्बित होने के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किसे गये प्रकरण

   (1) सर्वश्री गल्फार इंजीनियरिंग एण्ड कॉन्टैक्टिंग इण्डिया लिमिटेड कर निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) राज्य कर, किच्छा (उधमसिंह नगर)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र